न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 146/2017 एल.आर. एक्ट

1. रामसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा।
2. नोंरगराम पुत्र सुरजाराम जाति लाखेरा निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा।
3. सीताराम पुत्र बल्लूराम जाति जाट निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा।
4. महीपतराम पुत्र केशुराम जाति जाट निवासी ग्राम भाड़ी तहसील भादरा।

अपीलान्ट

बनाम

1. महावीरसिह पुत्र सहदेव जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी भाड़ी तहसील भादरा
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री एन. के. गांधी – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 13–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 16–07–2003 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील का सार :– अपीलान्ट ने अपील इस आशय की पेश की, कि आदेश जैर अपील तारीख 16.07.2003 दफा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानो के तहत तारीख 16.07.2003 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को बतौर लेण्ड रेकार्ड आफिसर इकतरफा तौर पर बिना राज्य सरकार को पक्षकार बनाये व बिना तमाम अन्य आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाये स्वीकार किया जाकर जोहड़ पायतन की 12 बीधा 12 बिस्वा भूमि को निस्बत हकूक खातेदारी दिये जाने का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट महावीरसिंह पुत्र सहदेव सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि विवादित भूमि महावीरसिंह की खातेदारी की भूमि नही है। जिस खातेदारी भूमि का हवाला देते हुए 136 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानो के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया वो भूमि जय लाल, दौलतराम व सहदेव

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की खातेदारी भूमि है व थी। महावीर सिह के नाम से कोई भूमि खातेदारी की नही है। विवादग्रस्त भूमि से कोई महावीर सिह का ताल्लूक नही है। जयलाल, दौलतराम व सहदेव तीनो आज दिन तक जिन्दा है। उनके जीवनकाल में कोई महावीरसिह पुत्र सहदेव नाम के व्यक्ति को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार नही है। जिस व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस व्यक्ति को कोई प्रार्थना पत्र देने का अधिकार नही है। जयलाल, दौलतराम व सहदेव पिसरान भोमाराम ने विवादित भूमि के संबध मे दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 दावा इस्तकदर हक व हुकम इम्तनायी दावामी का अनवानी जयलाल दौलतराम, सहदेवकुमार आदि बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान दावा नंबर 54/82 किया गया था। जो तारीख 30.12.82 को डिक्री हुआ और विवादित भूमि का खातेदार जयलाल आदि को घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के यहा अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियो के द्वारा अपील नंबर 104/86 तारीख फैसला 20.5.87 की गई जो स्वीकार हुई व ए.सी.एम नोहर का फैसला व डिक्री तारीख 30.12.82 खारिज की गई। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय के खिलाफ राजस्व मण्डल, अजमेर में सैकिण्ड अपील 166/87 अनवानी जयलाल आदि बनाम रामसिह आदि की गई, जो खारिज हुई। राजस्व मण्डल के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट के यहा रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो तारीख 16.5.97 को खारिज हुई। तारीख 16.5.97 आदेश हाई कोर्ट के विरूद्व स्पेशल डी.बी. अपील नंबर 847/95 अनवानी जयलाल आदि बनाम स्टेट आदि की गई। जो तारीख 9.4.2003 को खारिज की गई। इस प्रकार तमाम जगह हारने के पश्चात यह मौजूदा कार्यवाही सहदेव ने अपने जीवनकाल मे अपने लड़के महावीर के नाम से श्री औकार लाल जी जाट एस.डी.एम. के यहा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 तारीख 16.7.2003 को कराया है व 12 बीधा 12 बिस्वा भूमि की निस्बत खातेदारी घोषित करवाई गई हे। धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मे दोनो पक्षकारो के क्लेरिकल भूल एडमिट किये जाने के पश्चात ही धारा 136 का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जा सकता है। जबकि मामले हाजा मे स्टैट आफॅ राजस्थान को पक्षकार नही बनाया गया है, न ही रामसिंह आदि को पक्षकार बनाया गया है। स्पेशल डी.बी अपील राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय दिनांक 9.4.2003 को हुआ है, 9.4.2003 को होने के पश्चात तमाम तथ्यो को छिपाते हुए महावीर सिंह के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसे स्वीकार करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने गलती की है व अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाकर काम किया है । अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील को निरस्त करने का निवेदन किया गया हे।

3. मियाद :– अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की पीठ पीछे किया गया था तथा उक्त प्रकरण मे अपीलांटस पक्षकार भी नही थें। ऐसी स्थिति मे आदेश की जानकारी विलम्ब से होने का कारण संतोषजनक पाये जाने पर अपील पेश करने मे हुये विलम्ब का शमन करते हुवे अपील अन्दर मियाद धोषित की जाती है।

4. अपीलांटस ने सी.पी.सी.की धारा 96 के प्रावधानो के तहत प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार होने से सम्बन्धित दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश किया है। पक्षकारो के बीच इसी विवादित भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयो मे वाद निर्णित हुवे है। अपीलांट रामसिह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष इसी मामले मे अपील पेश की गई थी। तत्पश्चात मामला राजस्व मण्डल तथा उच्च न्यायालय में चला, उनमें भी रामसिह पक्षकार था। विवादित भूमि जोहड़ पायतन होने के कारण जन उपयोगी है तथा उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारो का सृजन होने से पूरे समुदाय का हित प्रभावित होता है। अतः अपीलांट रामसिंह वगैरह बतौर लोक प्रतिनिधी इस प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार होने के कारण दरख्वास्त स्वीकार की गई है।

अपीलांटस के वकील ने बहस मे अपील मीमो को दोहराते हुये भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के सीमित स्कोप के बारे मे राजस्व मण्डल द्वारा निर्णित निगरानी छीतर खान बनाम आम जनता RRD 2001 पृष्ठ 409 की प्रति पेश करते हुये अपीलाधीन आदेश को क्षेत्राधिकार विहीन एवं प्रभाव शून्य बताया। अभिभाषक अपीलान्ट ने इस प्रकरण मे राजस्व अपील अधिकारी, राजस्व मण्डल तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशो के संदर्भ मे समुचित आदेश जारी करने का अनुरोध किया।

रेस्पोडेन्ट के वकील ने बहस के दौरान अपीलांटस को सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार नही होने के कारण अपील पेश करने की हैसीयत पर आपत्ति उठाई।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया,परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तथा इस सम्बन्ध में अन्य न्यायालयो द्वारा निर्णित मामलो से सम्बन्धित दस्तावेजो पर गौर किया गया।

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर द्वारा दिनांक 16.04.1973 को जयलाल पुत्र भोमाराम की दरख्वास्त पर निर्णय करते हुये ख. न. 235/757 की 22 बीधा 08 बिस्वा भूमि भोमाराम की खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जयलाल,दौलतराम सहदेव पुत्र भोमाराम उसी खं. नं. 235/757 को शामिल करते हुये काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर भादरा के समक्ष घोषणा का वाद पेश किया जो दिनांक 30.12.1982 को डिक्री किया गया। उक्त डिक्री को राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 20.05.1987 को निरस्त कर दिया गया तथा विवादित भूमि को जोहड़ पायतन दर्ज करने का आदेश दिया गया। जयलाल वगैरह द्वारा उक्त आदेश की अपील राजस्व मण्डल के समक्ष करने पर मण्डल ने राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय बहाल रखा। जयलाल वगैरह द्वारा उक्त मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाने पर उक्त अपील खारिज हो गई। इस प्रकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 16.04.1973 को दिये गये निर्णय में उल्लेखित 22 बीघा 08 बिस्वा के अलावा जोहड़ पायतन के अन्य रकबे के सम्बन्ध मे उच्च न्यायालय तक निर्णय किया जा चुका था।

महावीर सिंह पुत्र सहदेव ने उक्त तथ्यो को छुपाते हुये दिनांक 16.07.2003 को उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष रिकॉर्ड दुरस्ती की दरख्वास्त पेश की। उपखण्ड अधिकारी भादरा ने प्रार्थी की दरख्वास्त में उल्लेखित काल्पनिक कथनो को सत्य मानते हुये दरख्वास्त पेश करने के दिन ही खं. नं. 235 की 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि को जोहड़ पायतन से हटाकर प्रार्थी के दादा भोमाराम के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे भू अभिलेख अधिकारी को पक्षकारो की सहमति पर लिपिकीय त्रुटि का सुधारने की शक्तियां दी गई है। विचाराधीन प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी राजस्व अपील अधिकारी, राजस्व मण्डल तथा उच्च न्यायालय के आदेशो को नजर अंदाज करते हुये जोहड़ पायतन की भूमि को ही प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया। उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश शक्तियो का दुरूपयोग करते हुये मनमाना तरीके से जारी किया गया है।

अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2003 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त आदेश मे उल्लेखित खं. नं. 235 की 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि का जोहड़ पायतन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर